प्रेस नोट

धोखाधड़ी के अपराध में लिप्त 25,000/- रूपये का इनामिया अंतर्जनपदीय अपराधी गिरफ्तार

दिनांक 27.05.22

पुलिस उपमहानिरीक्षक/पुलिस अधीक्षक श्री आर .पी.सिंह द्वारा जनपद में अपराधियों के विरुद्ध कठोरतम कार्यवाही हेतु निर्देशित किया गया है।

उक्त निर्देश के अनुपालन के क्रम में क्षेत्राधिकारी मिश्रिख के निकट पर्यवेक्षण में थाना नैमिषारण्य पुलिस द्वारा मु0अ0सं0 33/21 धारा 406/419/420/467/468/471 भादवि में वांछित 25,000/- रुपये के इनामिया अभियुक्त मनोज कुमार पुत्र नरेंद्र नि0 261 नावादा लोचन थाना बेनीगंज पोस्ट उमरारी जनपद हरदोई को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है। जो **करीब डेढ़ वर्ष से वांछित** चल रहा था एवम् जिसके द्वारा कस्बा नैमिषारण्य में RAISE INDIA NIDHI LIMITED के नाम से कंपनी खोलकर कूटरचना करके कूटरचित दस्तावेजो के सहारे लोगो से धोखाधड़ी कर आम लोगो के लाखों रुपये लेकर धोखाधड़ी कर आर्थिक लाभ लिया गया था, **जिसकी शीघ्रातिशीघ्र गिरफ्तारी सुनिश्चित करने हेतु पुलिस उपमहानिरीक्षक/पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा 25,000/-रुपये का पुरस्कार घोषित किया गया था।** उल्लेखनीय है कि अभियुक्त उपरोक्त के विरुद्ध जनपद हरदोई में भी धोखाधड़ी के संबंध में पूर्व से अभियोग पंजीकृत है। गिरफ्तार अभियुक्त का चालान मा0 न्यायालय किया गया है। **अभियुक्त के विरुद्ध साक्ष्य संकलन कर अपराध से अर्जित संपत्ति का पता लगाकर जब्तीकरण की कार्यवाही की जायेगी।** जनपद सीतापुर में अपराध एवम् अपराधियों के विरुद्ध निरंतर इसी प्रकार प्रभावी कार्यवाही की जाती रहेगी।

अभियोग में वांछित – मु0अ0सं0 33/21 धारा 406/419/420/467/468/471 भादवि थाना नैमिषारण्य जनपद सीतापुर

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम/पता – मनोज कुमार पुत्र नरेंद्र नि0 261 नावादा लोचन थाना बेनीगंज पोस्ट उमरारी जनपद हरदोई

पुलिस टीम -

1. थानाध्यक्ष श्री दिग्विजय पांडेय
2. उ0नि0 श्री जयकृष्ण तिवारी
3. आरक्षी आकाश कुमार
4. आरक्षी रोविन्स कुमार

आपराधिक इतिहास –

1. मु0अ0सं0 33/21 धारा 406/419/420/467/468/471 भादवि थाना नैमिषारण्य जनपद सीतापुर
2. मु0अ0सं0 94/21 धारा 419/420/467/468/469/471/389 भादवि थाना बेनीगंज जनपद हरदोई